प्ररूप सं. 64ङ

[नियम 12गग (2)(*i*) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115नगक के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त कराया गया या प्रत्यय कराया गया द्वारा आय का विवरण

1. प्रतिभूतिकरण न्यास का नामः
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः
3. विधिक प्रास्थितिः
4. स्थायी खाता संख्यांकः
5. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा होः
6. प्रतिभूतिकरण न्यास के न्यासियों/निदेशकों/भागीदारों के नाम और पतेः

क्रम सं.	नाम	[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	आधार, यदि कोई हो	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (*i*) प्रतिभूतिकरण न्यास की प्रास्थिति

   कृपया धारा 115नगक के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड घ के उपखंड का उल्लेख करें)

   (*ii*) रजिस्ट्रीकरण संख्या

   (कृपया उस अधिनियम/विनियम को इंगित करें जिसमें रजिस्ट्रीकृत हुआ है)

   (*iii*) रजिस्ट्रीकरण की तारीख

8. प्रतिभूतिकरण न्यास की आय के ब्यौरे

   (*i*) प्रतिभूतिकरण न्यास की कुल आय (रुपयों में)

   (*ii*) "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	रकम	अनुपात (उपरोक्त खंड 2/स्तंभ 7 (i) पर रकम)
(1)	(2)	(3)
1.		

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*iii*) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	रकम	अनुपात (उपरोक्त खंड 2/स्तंभ 7 (i) पर रकम)
(1)	(2)	(3)
1.		

(*iv*) ''पूंजी लाभ'' शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात (स्तंभ 3 ऊपर 7(i) पर रकम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 10(38) में निर्दिष्ट दीर्घ अवधि पूंजी लाभ		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ (अन्य)		
3	अल्पावधि पूंजी लाभ ''जिसको धारा 111क लागू होती हो''		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ (अन्य)		

(*v*) ''अन्य स्त्रोत से आय'' शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात (स्तंभ 3 ऊपर 7(i) पर रकम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लाभांश (धारा 115ण में निर्दिष्ट)		
2	अन्य		

9. धारा 115नगक उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिधानकर्ता होते हुए व्यक्ति के ब्यौरे जिसके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है:

क्रम सं.	विनिधान कर्ता का नाम	पता	[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	संदत्त/ जमा की गई/ जमा की गई समझी गई कुल रकम	''कारबार यावृत्ति शीर्ष क अधीन आय (स्तंभ 5×क्रम) संख्या 7(ii) पर सारणी का स्तंभ 3(1)''	गृह संपत्ति से आय (स्तंभ 5 × क्रम संख्या 7(iii) पर सारणी का स्तंभ 3(1)	''दीर्घावधि पूंजीलाभ'' के अधीन आय		''अल्पावधि लाभ'' शीर्ष के अधीन आय		अन्य स्त्रोत केअधीन आय	
							धारा 10(38) में विनिर्दिष्ट स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(iv) पर सारणी का स्तंभ 4(1)	अन्य स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(iv) पर सारणी का स्तंभ 4(2)	जिसको धारा 111क लागू होती है स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(iv) पर सारणी का स्तंभ 4(3)	अन्य स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(iv) पर सारणी का स्तंभ 4(4)	लाभांश (धारा 115ण में निर्दिष्ट स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(v) पर सारणी का स्तंभ 4(1)	अन्य स्तंभ 5 क्रम संख्या 7(v) पर सारणी का स्तंभ 4(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लागू अधिनियम/विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र, जैसे प्रतिभूतिकरण के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्ताव और प्रतिभूतियां ऋण लिखत सूचीबद्ध करना) अधिनियम, 2008, विशेष प्रयोजन या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानक आस्तियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों से विनियमित होते हैं और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के मामले में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखे जिनके अंर्तगत तुलन पत्र वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115 नगक की उपधारा (3) के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग की सत्यापित की प्रमाणति की प्रतिलिपि संलग्न करें।

मैं.....(पूरा नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री*.....सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं और घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऐसे विवरण.....(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और ऐसे विवरण देने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख.....को सत्यापित

स्थान :

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने.....को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए.....(प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम)..... द्वारा संदत्त/जमा की गई आय (धारा 115नगक के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) और अर्जित आय की विशिष्टियों को दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा की है।

2. मैं/हम *घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान : .....

तारीख : ..... (लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)

सदस्यता संख्या.....

टिप्पणः

1. ''लेखाकार'' से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखकार अभिप्रेत है।
2. सभी रकम भारतीय रुपयों में वर्णित की जानी है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।